न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –130/2020
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2020/00165

अपीलाण्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेण्ट्स**
रेखाराम उर्फ रेखचंद पुत्र मेघाराम जाति खाती निवासी गोटन तहसील मेडता जिला नागौर (राजस्थान)		1. पटवारी हल्का, धनापा तहसील मेडता जिला नागौर 2. तहसीलदार मेडता जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. **अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमार शर्मा।**
2. **रेस्पोडेण्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।**

निर्णय **दिनांक** 02-11-2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेडता द्वारा मुकदमा नम्बर 216/2018 सरकार बनाम रेखाराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.09.2020 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र के संबंध में बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी को नही थी। क्योंकि तथ्यात्मक रिपोर्ट अथवा मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। अभी दिनांक 04.09.2020 का कार्यालय आदेश की प्रति अपीलार्थी को तहसीलदार मेडता द्वारा प्रेषित की गई जो दिनांक 05.09.2020 को प्राप्त हुई चूंकि उस दिन अवकाश था तथा दिनांक 06.09.2020 को भी रविवार का अवकाश था इसलिए दिनांक 07.09.2020 को अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया व नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 07.09.2020 को प्राप्त होने पर निर्णय दिनांक 18.12.2019 की जानकारी हुई इसलिए अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश की गई है, जिसे अन्दर मयाद शुमार की जाना उचित एंव न्याय संगत होने का कथन करते हुए अपीलार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट्स राजपैरोकार ने बहस का विरोध करते हुए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का धनापा द्वारा एक रिपोर्ट तहसीलदार मेडता के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि मौजा टुकलिया के खसरा नम्बर 10 रकबा 0.0060 हेक्टर गैर मुमकिन ... पर रेखाराम पुत्र मेघाराम खाती निवासी गोटन द्वारा संवत् 2075 में पत्थर ... लेकर अतिक्रमण कर लिया है जो रिपोर्ट दिनांक 10.01.2019 को पेश हुई जिस पर दिनांक 11.01.2019 को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया जो नोटिस प्राप्त होने पर अपीलार्थी की ओर से दिनांक 05.02.2019 को जवाब पेश हुआ। तत्पश्चात् पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात् पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक गोटन एंव ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:16:44 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

पंचायत से रिपोर्ट तलब की गई जो रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई व लम्बे समय तक उक्त रिपोर्ट हेतु प्रकरण विचाराधीन रहा तथा पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक से मौका व रेकर्ड के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जो दिनांक 13.12.2019 तक प्राप्त नहीं हुई केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो भी रेकर्ड व मौके के अनुसार नहीं दी गई बल्कि पूर्व अनुसार ही रिपोर्ट पेश की तत्पश्चात् उक्त रिपोर्ट पर किसी प्रकार की सुनवाई या साक्ष्य का अवसर दिये बिना न्यायालय ने रिपोर्ट पेश होते ही सीधे ही प्रकरण को निर्णय हेतु निर्धारित करते हुए दिनांक 18.12.2019 को निर्णय पारित कर दिया जो कि एक साईकलो स्टाइल निर्णय जो पहले से तैयार किया हुआ, में दिनांक व अन्य रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए बेदखली का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एंव परिस्थितियों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा जो भी दस्तावेज जवाब पेश किया उस पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया व न ही उनका अवलोकन किया तथा प्रकरण लम्बे समय तक पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक से मौके व रेकर्ड के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई थी व उसी के लिए प्रकरण दिनांक 28.02.2019 से विचाराधीन रहा तथा ग्राम पंचायत से भी रिपोर्ट तलब की गई जो रिपोर्ट पेश ही नही हुई साथ ही भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा मौके व रेकर्ड के अनुसार कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश नहीं की। जबकि प्रकरण में अभी हाल ही में मेडता तहसील में हुए सेटलमेंट के पूर्व व सेटलमेंट के पश्चात् के रेकर्ड मिलान व सेटलमेंट पूर्व व सेटलमेंट पश्चात् नक्शे के अनुसार मौके पर जांच कर व नाप कर तत्पश्चात् तथ्यात्मक रिपोर्ट रेकर्ड व मौके अनुसार पेश करनी थी जो नहीं की गई। यदि वास्तव में ऐसा किया जाता व सेटलमेंट पूर्व व सेटलमेंट पश्चात् रेकर्ड का मिलान कर मौके पर रेकर्ड अनुसार नाप चौप किया जाता तो सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जाती तथा प्रकरण किसी भी प्रकार से अतिक्रमण बाबत नहीं पाया जाता। अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड व मौके अनुसार ही रिपोर्ट तलब की थी मगर समुचित रिपोर्ट पेश ही नहीं हुई व बिना रिपोर्ट लिये ही आदेश पारित किया है तथा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। इसलिए भी अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एंव न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश करते हुए स्पष्ट रूप से कथन किया कि सेटलमेंट के पूर्व खसरा नम्बर 3 जो साबिका खसरा नम्बर है की उतरी सीमा के पास कभी भी किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं था व न ही मौके पर रेकर्ड में कोई रास्ता था। सेटलमेंट के समय राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी आदेश के व बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के निर्णय गलत रूप से नक्शा में रास्ता बताते हुए सेटलमेंट बाद नया रास्ता अंकित किया है जबकि विधि अनुसार सेटलमेंट के समय से पूर्व प्रविष्टियों की पुनरावर्ती ही करनी होती है सेटलमेंट कर्मचारियों को पूर्व के इन्द्राज में संशोधन करने अथवा नया इन्द्राज करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। ऐसा अधिकार केवल मात्र सक्षम भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश पर ही किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में सेटलमेंट के बाद जो रास्ता दर्शाया है ऐसा इन्द्राज करने का भू प्रबन्ध अधिकारी का किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं था फिर भी गलत रूप से रास्ते का इन्द्राज किया है जबकि साबिका खसरा नम्बर 3 खातेदारी का खेत था तथा साबिका खसरा नम्बर 2 व 3 के मध्य कभी भी किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं था प्रकरण केवल मात्र तरमीम दुरूस्ती का है जिस हेतु अपीलार्थी ने धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी मेडता के समक्ष आवेदन भी पेश किया है जो आवेदन विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जब तरमीम दुरूस्ती का आवेदन सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो कार्यवाही धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत् नहीं की जा सकती है तथा निर्णय में भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण विचाराधीन होना माना है तथा इस संबंध में दस्तावेज पेश किये गये हैं जिन पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया व न हीं अवलोकन किया व गलत रूप से आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:16:44 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

साबिका खसरा नम्बर 3 की 1 बीघा भूमि अपीलार्थी के भाई बक्सीराम, रामनिवास पुत्र भोजराज माली व विकास पुत्र रामस्वरूप माहेश्वरी के स्वामित्व की है बक्सीराम का देहान्त होने पर उनके पुत्रगण ने अपीलार्थी के पक्ष में आम मुख्त्यारनामा निष्पादित किया गया है। उक्त 1 बीघा भूमि उतम चूना पत्थर उधोग गोटन के नाम से सोहनसिंह पुत्र बगतावरसिंह पुरोहित निवासी टुकलिया जो कि खसरा नम्बर 3 के खातेदार थे, से 1 बीघा भूमि साबिका खसरा नम्बर 2 के चिपते हुए दिनांक 17.06.1980 को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जो बक्सीराम, रामनिवास व रामस्वरूप ने संयुक्त रूप से खरीद की। जिसमें विक्रय पत्र में पडौस भी अंकित है व उसी अनुसार कब्जा है नामान्तरकरण किसी कारण वश नहीं भरा गया परन्तु नामान्तरकरण एक फिकसल प्रोसिडिग है जिसके आधार पर न तो किसी के अधिकार समाप्त होते है व नहीं किसी को अधिकार प्राप्त होते है। इसलिए नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने के आधार पर खरीददार के अधिकार समाप्त नहीं होते है। भूमि अपीलार्थी की खरीदसुदा भूमि है तथा उपयोग एंव उपभोग करते आ रहे है। सेटलमेंट के समय साबिका खसरा नम्बर 3 के नये खसरा नम्बर 9,10, 11,12,13,14,15 दर्ज किये गये व गलत रूप से खसरा नम्बर 10 रास्ता होना दर्ज कर दिया जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं था तथा अपीलार्थी के प्रिसीपल ने उक्त खरीदसुदा भूमि में सें माइनिंग कांटा हेतु भूमि किराये पर दी थी साथ ही भूमि में ढाबा इत्यादि स्वंय की खरीदसुदा भूमि में रखा गया तथा भूमि खातेदारी की खरीदसुदा भूमि है जिसके संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है तथा सम्पूर्ण दस्तावेज जवाब के साथ व तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया व न ही राजस्व रेकर्ड के संबंध में किसी प्रकार का अवलोकन किया व बिना समुचित सुनवाई के गलत रूप से आदेश पारित किया है जो रेकर्ड दुरूस्ती से संबंधित प्रकरण है जो प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को रेकर्ड दुरूस्ती के विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण तक उक्त कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए था जो विधि सम्मत था। परन्तु प्रकरण को स्थगित नहीं रख गलत रूप से आदेश पारित किया हैं जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। साबिका खसरा नम्बर 2 के खातेदार लिखमाराम द्वारा अपनी भूमि में आवासीय योजना बनाकर भूखण्ड विक्रय किये जिसके नक्शे में भी उक्त विवादित जायगा को बक्सीराम की जायगा होना अंकित किया है साथ शिकायतकर्ता द्वारा जो भूखण्ड क्रय किये गये है उनके भी दक्षिण में बक्सीराम जांगीड की जमीन होना अंकित है इससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2 के दक्षिण में किसी प्रकार का रास्ता कभी था ही नहीं केवल सेटलमेंट में मिलावट कर गलत रूप से रास्ता अंकित किया है तथा गलत रूप से उक्त प्रकरण दर्ज किया है। जबकि सेटलमेंट के समय केवल पूर्व इन्द्राज को ही पुनरावर्ती करनी थी नया इन्द्राज करने का अधिकार नहीं था इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय रेकर्ड के विपरीत जाकर पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य होने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2019 को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करने विकल्प में समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर देने व सेटलमेंट पूर्व व सेटलमेंट बाद के राजस्व रेकर्ड के अनुसार पूर्ण नाप चौप व जांच कर बाद साक्ष्य पुनः निर्णय करने के निर्देश के साथ प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने रेस्पोडेन्टस् की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम टुकलिया के खसरा नम्बर 10 की गैर मुमकिन रास्ते की 0.0060 हैक्टयर भूमि पर पत्थर डालकर, ढाबा रखकर व विद्युत कनेक्शन लेकर अतिक्रमण किया जाना भू–अभिलेख निरीक्षक गोटन व पटवारी हल्का धनापा की समय–समय पर दी गई रिपोर्ट से साबित है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान किया गया था, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है। वकील अपीलान्ट का कथन कि सेटलमेन्ट द्वारा गलत रूप से गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया है। सेटलमेन्ट द्वारा गलत दर्ज करने के संबंध में धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट की कार्यवाही में विचार नहीं किया जा सकता है। सेटलमेन्ट द्वारा गलत रास्ता दर्ज करने के संबंध में पृथक कार्यवाही है एवं इस बाबत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:16:44 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष आवेदन पेश किया है, जो विचाराधीन है एवं जिसमें वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी नहीं है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधि अनुसार निर्णय जैर अपील पारित करने का कथन करते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ग्राम टुकलिया के खसरा नम्बर 10 की गैर मुमकिन रास्ते की 0.0060 हैक्टयर भूमि पर पत्थर डालकर, ढ़ाबा रखकर व विद्युत कनेक्शन लेकर अतिकमण किया है, जो भू–अभिलेख निरीक्षक गोटन व पटवारी हल्का धनापा की रिपोर्ट दिनांक 10.01.2019 एवं तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 5.2.2019 के सन्दर्भ में भू–अभिलेख निरीक्षक गोटन एवं पटवारी धनापा द्वारा दिनांक 13.05.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट में तथा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 के सन्दर्भ में भू–अभिलेख निरीक्षक गोटन एवं पटवारी धनापा की रिपोर्ट दिनांक 09.12.2019 भी वादग्रस्त भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में गै.मु. रास्ता होना बताते हुए अपीलान्ट का अतिकमण माना है। प्रकरण में अपीलान्ट स्वंय तथा जरिये अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब एवं दस्तावेजात प्रस्तुत किये है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान किया गया।

वकील अपीलान्ट का कथन कि सेटलमेंन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 3 जो साबिका खसरा नम्बर है की उत्तरी सीमा के पास कभी भी रास्ता नहीं था। बाद के सेटलमेन्ट में गलत रूप से रास्ता बता दिया है, प्रकरण केवल तरमीम दुरूस्ती का है, जिस हेतु अपीलान्ट द्वारा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष आवेदन पेश किया है, जो विचाराधीन है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि सेटलमेन्ट द्वारा गलत रूप से रास्ता दर्ज करने का तथ्य है, तो उक्त संबंध में धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही में विचार नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट स्वंय का कथन है कि इस हेतु तरमीम दुरूस्ती का आवेदन उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका अभी निर्णय नहीं हुआ है। इस प्रकार अपीलान्ट का प्रकरण उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के न्यायालय में विचाराधीन है एवं अधिनस्थ न्यायालय स्वंय ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय राजस्व रिकार्ड एवं समग्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:16:44 IST
Reason: SelfAttested